सूचना अधिकार अपील संख्या 02/2024 सज्जनसिंह बनाम अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

प्रथम अपीलीय अधिकारी
कार्यालय सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर।

सूचना का अधिकार अपील संख्या 02/2024

अपीलार्थी	बनाम	**रेस्पोडेन्टस**
सज्जनसिंह पुत्र स्व. हुकमसिंह राजपूत निवासी—मकान संख्या एन—64, आशियाना अमरबाग, पाली रोड, कुडी, जोधपुर।		लोक सूचना अधिकारी (अति0 संभागीय आयुक्त) कार्यालय सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

प्रथम सूचना अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार
अधिनियम 2005

उपस्थितिः—
1. अपीलार्थी अनुपस्थित।
2. रेस्पोडेन्ट लोक सूचना अधिकारी(अति0 संभागीय आयुक्त,जोधपुर) उपस्थित।

निर्णय

दिनांक 16 जुलाई,2024

अपीलार्थी के द्वारा कार्यालय के लोक सूचना अधिकारी (अति0 संभागीय आयुक्त, जोधपुर) के समक्ष सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 12.04.2024 को प्रेषित आवेदन में उनकी ओर से पूर्व में इस कार्यालय को दिनांक 27.11.2023 को पेश प्रार्थना पत्र पर की गई कार्यवाही इत्यादि की सूचना प्राप्त करने हेतु निवेदन किया। आवेदन अनुसार सूचना अप्राप्त होने पर सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत यह प्रथम अपील पेश कर लोक सूचना अधिकारी को उपरोक्त सूचनाएं निःशुल्क प्रदान करने के निर्देश देने हेतु निवेदन किया है।

अपीलार्थी की उक्त प्रथम सूचना अपील को दर्ज रजिस्टर की जाकर लोक सूचना अधिकारी से अपील पर टिप्पणी एवं संधारित पत्रावली तलब की गई तथा सुनवाई हेतु दिनांक 8.7.2024 नियत की जाकर तथा अपीलार्थी को भी सुनवाई बाबत नोटिस जारी किया गया।

लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय हाजा ने अपने पत्रांक एडीसी/सू0अ0/प्र.अ./2024/108 दिनांक 05.07.2024 को मूल पत्रावली व टिप्पणी प्रेषित करते हुए अवगत कराया कि प्रार्थी द्वारा प्रेषित शिकायत दिनांक 27.11.2023 के परिप्रेक्ष्य में इस कार्यालय के पत्रांक राजस्व/बाडमेर/2023/759 दिनांक 6.12.2023 के द्वारा जिला कलेक्टर बाडमेर को मूल प्रार्थना पत्र मय संलग्नक आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाया गया।

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

सूचना अधिकार अपील संख्या 02/2024 सज्जनसिंह बनाम अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

आवेदक द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर की गई कार्यवाही सम्बन्धी सूचना उपलब्ध करवाने हेतु सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रस्तुत किये गये आवेदन को उक्त अधिनियम की धारा 06 (3) के तहत आवेदक को नियमान्तर्गत सूचना उपलब्ध करवाने हेतु जिला कलेक्टर बाडमेर को पत्र 66–67 दिनांक 30.4.2024 को स्थानान्तरित कर दिया तथा आवेदक को भी पत्र की प्रति मय (जिला कलेक्टर बाडमेर को लिखे गये पत्र की प्रति) प्रेषित कर सूचना प्राप्त करने हेतु जिला कलेक्टर बाडमेर कार्यालय से सम्पर्क करने हेतु रजिस्टर्ड डाक द्वारा सूचित किया जा चुका है। अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील सारहीन होने से खारिज की जावें।

हमने अपीलार्थी की अपील एवं लोक सूचना अधिकारी की ओर से प्रेषित टिप्पणी का अवलोकन किया तथा संधारित प्रकरण की पत्रावली का एवं सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का अवलोकन किया जिससे यह पाया गया कि आवेदक/प्रार्थी के द्वारा प्रेषित शिकायत दिनांक 27.11.2023 के परिप्रेक्ष्य में इस कार्यालय के पत्रांक राजस्व/ बाडमेर/2023/759 दिनांक 6.12.2023 के द्वारा जिला कलेक्टर बाडमेर को मूल प्रार्थना पत्र मय संलग्नक आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाया गया है तथा आवेदक द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर की गई कार्यवाही सम्बन्धी सूचना उपलब्ध करवाने हेतु सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रस्तुत किये गये आवेदन को उक्त अधिनियम की धारा 06 (3) के तहत आवेदक को नियमान्तर्गत सूचना उपलब्ध करवाने हेतु जिला कलेक्टर बाडमेर को पत्र 66–67 दिनांक 30.4.2024 को स्थानान्तरित कर आवेदक को भी पत्र की प्रति मय (जिला कलेक्टर बाडमेर को लिखे गये पत्र की प्रति) प्रेषित कर सूचना प्राप्त करने हेतु जिला कलेक्टर बाडमेर कार्यालय से सम्पर्क करने हेतु रजिस्टर्ड डाक द्वारा सूचित किया जाना पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है। ऐसे में अपीलान्ट के द्वारा अपील में यह अंकित किया जाना कि वांछित सूचना आज दिन तक अप्राप्त है मानने योग्य नहीं हो सकता है। ऐसे में अपीलान्ट की अपील सारहीन व आधारहीन होने से अस्वीकार किये जाने योग्य होने से अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को भी प्रेषित की जावें।

(भंवरलाल मेहरा)
सम्भागीय आयुक्त,जोधपुर